संस्थापित १८९७

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

आर्य मित्र

साप्ताहिक

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र

एक प्रति ₹ २.००
वार्षिक शुल्क ₹ १००
(विदेश ५० डालर वार्षिक) आजीवन शुल्क ₹ १०००

वर्ष : १२४ ● अंक-०४ ● २८ जनवरी २०२० माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी संवत् २०७६ ● दयानन्दाब्द १६५ वेद व मानव सृष्टि सम्वत् : १६६०८५३१२०

"सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है" —महर्षि दयानन्द

संयम और सहिष्णुता के लिए पूर्ण शराब बन्दी हो

डॉ0 धीरज सिंह
सभा प्रधान

गणतन्त्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष २६ जनवरी को मनाया जाता है गणतन्त्र राष्ट्र के लिए उत्तम प्रेरणा देता है। इन्हीं प्रेरणाओं से भारत का कलयाण होगा, हम सभी का लक्ष्य है हमारे चरित्र में सत्य, अहिंसा, प्रेम, सादगी, मितव्यता संयम सहिष्णुता और ईश्यवर का भय जन मन में पिरोना है। किन्तु हमारे देश में आदर्शों का अभाव, पद लोलुपता, परस्पर फूट, कटु आलोचना और एक दूसरे पर मिथ्या रोपण की भावनायें बड़ी तेजी से घर करती जा रही हैं। यह है स्वार्थपरता की पराकाष्ठा। स्वार्थ जितना सीमित होगा उतनी ही गन्दगी बढ़ती जायेगी और जितना विस्तृत और व्यापक होगा उतना ही पवित्र होगा।

आज हम सभी दुरितों (दुर्गुण एवं दुर्व्यसनों में फंसते जा रहे हैं कि राष्ट्र की अस्मिता और अखण्डता का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अन्दर हम सभी झांक कर देखें तो इन सब कारणों से नशाखोरी बुराइयों की मजबूत जड़ है। शराब के कारण सारे अपराध और अत्याचार बढ़ते जा रहे। शराब सारे अपराधों एवं पापों की जननी है। शराब पीकर लोग सन्तुलन खो बैठते हैं तब उनके मन में संप्रभुता लोकतान्त्रिकगण राज्य बनाने की भावनाओं के लिए तभी स्थान होगा जब उनका सन्तुलन ठीक रहे। तभी सबके मन में यह आयेगा कि अपनी योग्यता कुशलता लोकसेवा के कारण राष्ट्र को सबसे ऊँचा स्थान दिलाने का कार्य करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। किन्तु आन्तरिक असन्तोष के कारण लोग दुःख हो कर भिन्न–भिन्न समुदायों में बंटकर एक दूसरे को आघात पहुंचा कर भविष्य को अन्धकार में धकेल रहे हैं। हम स्वतन्त्र हुए गणतन्त्र की स्थापना कर, उन गुणों का अपने अन्दर संचार नहीं कर सके जिनके कारण राष्ट्र समुन्नत हो सके और हम सभी की रक्षा हो सके।

आर्य प्रतिनिधि सभा के उत्तर प्रदेश के प्रधान डॉ० धीरज सिंह ने भारत सरकार से माँग की है गणतन्त्र दिवस की सार्थकता इसी में कि पूर्ण शराब बन्दी करके राष्ट्र को सम्प्रभुता लिए भारत के नागरिक उठकर स्वतः खड़े हो जाये और समुन्नत भारत की गरिमा पूर्ण रूप से जन–जन में परिलक्षित होने लगे। साथ में उन्होंने देश के समस्त नागरिकों को भारत राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए शराब पीना बन्द करने का संकल्प लेकर अपनी पहले वाले पूर्ण गरिमायुक्त भारत का निर्माण करें।

आओ, राष्ट्र के लिए हवि दें

अभिभूर्यज्ञो अभिभूरग्निः[१०], सोमो अभिभूरिद्रः[१०]।
अभयहं विश्वाः पृतनायथासानि[१२] एवा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः[१२] ।। अथर्व६.६७.१

यज्ञ क्या है? स्वार्य–प्रधान शक्तियों के अभिभव का एक क्रियात्मक आन्दोलन है। लोक–हित के लिए किया जानेवाला प्रत्येक महान् कार्य यज्ञ है। अभिभव और विजय, संहार और सर्जन दोनों साथ–साथ चलते हैं। परन्तु अभिभव अनिवार्य है, क्योंकि विरोधी शक्तियों का अभिभव किये बिना यज्ञ कोई सर्जनात्मक कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार यज्ञ 'अभिभू' है। अग्नि, सोम और इन्द्र भी 'अभिभू' हैं, अभिभव करने वाले हैं। अग्नि पृथिवी–लोक का राजा है, जो अपनी मशाल से हमारे उद्वेजकों का, मार्ग के विघ्नों का अभिभव करता है। सोम (चन्द्र) अन्तरिक्ष–लोक का राजा है, जो अपनी शीतलता से श्रम और हमारी चिन्ता, उत्तेजना, व्याकुलता आदि का अभिभव करता है। इन्द्र (सूर्य) द्युलोक का राजा है, जो अपनी रश्मियों से अन्धकार, मालिन्य, रोग, प्रमाद, आलस्य, अकर्मण्यता, अस्फूर्ति, निस्तेजस्कता, अप्राणता, जड़ता आदि का अभिभव करता है। इन सबसे शिक्षा लेकर मैं भी 'अभिभू' क्यों न बनूँ? भाइयों! मैं तुम्हें भी 'अभिभू' बनने का निमन्त्रण देता हूँ। इस प्रकार हम सभी राष्ट्रवासी 'अभिभू' बन जाएँ। आओ, हम अग्निहोत्र करें, राष्ट्र की अग्नि में अपने आपको हवि बनाकर उत्सर्ग करें। प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवालों के लिए यह राष्ट्राग्निहोत्र करना कुछ भी कठिन नहीं है। हमारी तो नस–नस में अग्निहोत्र की भावना भरी है। हम जेसे अग्निहोत्री सिपाही राष्ट्र के पास होंगे तो राष्ट्र की विजय निश्चित है। हम समस्त शत्रु सेनाओं को अभिभूत कर देंगे। हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए उमड़कर आती हुई शत्रुवाहिनियाँ हमसे टकरा कर परास्त हो जायेंगी। न केवल बाहरी शत्रुओं को, अपितु राष्ट्र के अन्दर उपद्रव करने वाले अन्तःशत्रुओं को भी चुन–चुनकर हम विध्वस्त करेंगे। इस प्रकार हमारी शुद्ध हवि से पूर्णतः निःसपत्न हुए राष्ट्र को अपनी आन्तरिक सर्वांगणीय उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्र के उस सर्वांगीण विकास में भी योगदान करने के लिए, उसके लिए भी अपनी हवि देना उद्यत है। हे राष्ट्रनायक! हजारों हवि को स्वीकार करो।

आवश्यक सूचना

संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ की पंजीकृत नियमावली के नियम ५ (ए) के अन्तर्गत आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, (नारायण स्वामी भवन), ५–मीराबाई मार्ग, लखनऊ के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक १६.०१.२०२० को बैठक सम्पादित हुई। उक्त बैठक के निर्णयानुसार संस्था अन्तरंग सभा का नैमित्तिक साधारण अधिवेशन दिनांक ०२.०२.२०२० दिन रविवार तद्नु माघ शुक्ल अष्टमी को पूर्वाह्न ११.०० बजे से संस्था कार्यालय नारायण स्वामी भवन, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ में सम्पन्न होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार एवं निर्णय लिये जायेंगे। आपकी उपस्थिति अतिआवश्यक एवं प्रार्थनीय है। ऐजेण्डा प्रेषित किया जा चुका है।

डॉ0 धीरज सिंह
प्रधान

ज्ञानेन्द्र सिंह
मंत्री

डॉ0 धीरज सिंह
प्रधान/संरक्षक

ज्ञानेन्द्र सिंह आर्य
मन्त्री

सत्यवीर शास्त्री
संपादक

सम्पादकीय.....

गणतन्त्र यानी गण का तन्त्र बने

२६ जनवरी १६५० को भारत सरकार ने (अधिनियम एक्ट १६३५ को हटा कर) भारत का संविधान लागू किया था। लोकतन्त्र प्रणाली का यह संविधान प्राण है गणतन्त्र दिवस हमारे अन्तर्मन में राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा देता है। सभी भारतवासी राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित हो जाये तो समृद्ध भारत में हम गण (समूह) तन्त्र (बांधना या जोड़ना) बन जाय। २६ जनवरी १६५० को भारतीय गणतन्त्र की स्थापना के समय शपथ ग्रहण करते हुए कहा गया था "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गण राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए सामजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और अंगीकृत, अधिनियमों और आत्मार्पित कर करते हैं।"

युग युगान्तर में भी गणराज्य स्थापित हो चुके हैं इसकी चर्चा ऋग्वेद, अथर्व वेद में ४६ स्थानों पर आयी है गणतन्त्र यानी बांध का तन्त्र जिसका अर्थ है जनता द्वारा नियन्त्रित प्रणाली। इसीलिए गणतन्त्र ऐसा तन्त्र है जिसमें देश के हर नागरिक का योगदान हो। इस योगदान को जारी रखने के लिए हमारा संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है और इस तरह की व्यवस्था करता है कि नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद न हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा भी है। लेकिन इतने वर्षों में गणतन्त्र समस्या ग्रस्त होने के कारण तमाम चनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान खतरे से खाली नहीं है और समूचा विवाद भारतीय नागरिकता से जुड़े नये कानून को लेकर है जो विरोध का आधार है कि संविधान में संशोधित कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है इसलिए संविधान की भावना के खिलाफ है। हमारे राष्ट्र की महत्वपूर्ण आकांक्षायें वेद की राष्ट्री गीत में संनिहित है–

१. अपने राष्ट्र के वेद वेत्ता विद्वतजन ब्रह्म तेज से युक्त हैं।
२. हमारा सैन्यवर्ग का हर सदस्य शूरवीर अस्त्रशस्त्र चलाने में निपुण हो। हर महारथी दश हजार दुश्मनों से मोर्चा लेने में सक्षम हो।
३. गायें दूध देने वाली हैं और बैल बोझा ढोने वाले और तीव्रगामी हों।
४. स्त्रियाँ नगर प्रशासन में दक्ष हो, विनयशील सभी वाहनों को दक्ष हो।
५. राष्ट्र यज्ञ के यजमान (राजा) के प्रजारूप युवक (समेय) सभा समिति के योग्य बनें।
६. बादल समय–समय पर वर्षा करने वाले हो
७. वनस्पति फलवती और यथा समय पकने वाली।
८. हम सभी राष्ट्रजनों का योग क्षेम है आय के भीतर व्यय और व्यय से अधिक आय बना रहे।।

–सम्पादक

जन्म मरण का चक्र ये तर्ज : धन्य है तुझको.....

जन्म मरण का चक्र ये, सदियों से चलता आ रहा।
कोई यहां से जा रहा, कोई वहां से आ रहा।।टेक।।
सृष्टि की आदि काल से, आवगमन ये चल रहा।
चले चहां से दुःख है, आए खुशी मना रहा।।१।।
रोता आया जहान में, हँसते ही जाना धर्म है।
जाना है तुझको एक दिन, उसके लिए क्या कर रहा।।२।।
चाहे राजा या रंक हो, योगी यति या संत हो।
जिसने भी जन्म है लिया, उन सबको काल खा रहा।।३।।
मृत्यु को देख–देख कर, ज्ञानी लेते है प्रेरणा।
रोते कलपते शेष जन, ऐसा ही चलता आ रहा।।४।।
सुक की है जो कामना, 'धर्म' को 'धर' ले भाग ना।
ओ३म् का जाप कर सदा, मोक्ष को पथ ये जा रहा।।५।।

गतांक से आगे .....

उत्तरार्द्ध

अथैकादशसमुल्लासारम्भः

अथाऽऽर्य्यावर्त्तीयमतखण्डनमण्डने विधास्यामः

जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दि होता है ऐसा व्यासमुनि जी का मत है।।४।।

जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पता को पाता है। वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं। किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं।।५।। जो ऐसा न हो तो–

नेतरोऽनुपपत्तेः।।१।। भेदव्यपदेशाच्च।।२।।
विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ।।३।।
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति।।४।।
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्।।५।।
भेदव्यपदेशाच्चान्यः।।६।।
गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्।।७।।
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः।।८।।
अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्।।९।।
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते।।१०।।–व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि।।

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्त्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प, अल्पज्ञ सामर्थ्यवाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता। इससे जीव ब्रह्म नहीं ।।१।।

'रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति' यह उपनिषत् का वचन है।

जीवन और ब्रह्म भिन्न है क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता। इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं।।२।।

दिव्यो ह्यमूर्त्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः।
अप्राणो ह्यमनाः शभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः।। –मुण्डकोपनिषदि।।

दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहर–भीतर निरन्तर व्यापक, अज, जन्म–मरण शरीरधारणादि रहित, श्वास प्रश्वास, शरीर और मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है। प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है।।३।।

इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग व जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं, क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है।।४।।

इस ब्रह्म के अन्तर्यामी आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव ब्रह्म से भिन्न हैं, क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है।।४।।

इस ब्रह्म के अन्तर्यामी आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्य–व्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है।।५।।

जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी आदि भूत, दिशा, वायु सूर्यादि दिव्यगुणों के योग से देवता वाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है।।६।।

'गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके' इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है।।७।।

'शरीरे भवः शारीरः' शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते।।८।।

(अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादि भूत (अध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्र्यामीरूप से स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं।।९।।

शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है।।१०।।

क्रमशः

संस्थापित 1886 ई0
पंजीकरण तिथि 5 जनवरी, 1897

ओ३म्

✆: 0522-2286328

आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश

श्री नारायण स्वामी भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ-226001
ई-मेल-apsabhaup86@gmail.com

पत्रांक : 2395-2419 दिनांक : 27/01/2020

आदेश

संस्था की अन्तरंग सभा के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 19.01.2020 में पंजीकृत नियमावली के नियम 5 (ए) के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक में प्रदेशीय न्याय सभा के विषय में लिये गये निर्णय के कम में निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

आर्य प्रतिनिधि सभा उ0 प्र0 के पंजीकृत नियमावली के षष्ठ अध्याय में प्रदेशीय न्याय सभा के गठन एवं क्षेत्राधिकार की निम्न व्यवस्था दी गयी है–

षष्ठ अध्याय–प्रदेशीय न्याय सभा

32. प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्य जो कि प्रदेशीय न्यायाधीश कहलायेंगे, उनकी सदस्य संख्या उतनी ही होगी, जितनी कि सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के परामर्श से नियत करेंगे और इन सदस्यों में से एक सदस्य न्याय सभा का प्रधान होगा जो कि प्रदेशीय प्रधान न्यायाधीश कहा जायेगा।

33. प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्यों और प्रधान की नियुक्ति सार्वदेशिक न्याय सभा करेगी इन सदस्यों को उस नाम सूची पुरूष वर्ग में से लिया जायेगा कि जिसकी संख्या नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या से दुगुनी होगी और उस पुरूष वर्ग के नामों को संबंधित प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा मनोनीत कर भेजेगी। उक्त अनुशासित पुरूष सूची में वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत संघ में जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों। किन्तु जो किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा अथवा किसी आर्य समाज की प्रबंधकारिणी अथवा अन्तरंग सभा के सदस्य न हों।

34. प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 7 और 5 वर्ष तक रहेगी। किन्तु यह सदस्य पुनः नियुक्त हो सकेंगे।

35. प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान और सदस्यों को सार्वदेशिक न्याय सभा पृथक कर सकेगी।

36. प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्यों का पृथककरण, मृत्यु, त्याग पत्र अथवा किसी अन्य अयोग्यता के कारण रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति उसी प्रकार की जायेगी, जिस तरह

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

कि उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, जिसकी कि स्थान पूर्ति करनी है, किन्तु स्थान रिक्त रहने की दशा में भी न्याय सभा की कार्यवाहियां अनियमित नहीं होगी।

37. यह प्रदेशीय न्याय सभा उन समस्त वादों और विरोधों को सुनेगी, जो प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्बद्ध आर्य समाजों के मध्य उत्पन्न हुये हों अथवा जो प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य के बीच सभा सम्बन्धी विषयों से सम्बद्ध और यह आर्य समाजों के सदस्यों के बीच उत्पन्न हुये ऐसे विवादो और मतभेदों को भी सुनेगी, जिन्हें प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान अथवा प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान निर्णयार्थ जिसके समक्ष भेजेंगे। यह सभा स्थानिक न्याय के निर्णयों के विरूद्ध आयी हुयी अपीलों (अभ्यर्थनाओं) को सुनेगी और उनका निर्णय करेंगी।

38. प्रदेशीय न्याय सभा की समस्त कार्यवाही प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान द्वारा समय–समय पर की हुई सदस्य संख्या के समक्ष होंगी, किन्तु प्रदेशीय न्याय सभा के प्रति की हुयी अपील के लिये आवश्यक होगा कि यह न्याय सभा के न्यूनातिन्यून तीन सदस्यों के समक्ष सुनी जाये और समस्त निर्णय चाहे वे किसी प्रकार के हों, उन सभासदों के बहुमत के अनुसार होंगे। प्रधान जी की अनुपस्थिति में जब तक कि नवीन प्रधान की नियुक्ति न हो उस समय तक प्रधान का कार्य वह सदस्य करेगा जिसका नाम नियुक्त हुये वर्तमान सभासदों में सबसे प्रथम रहा हो।

39. प्रदेशीय न्याय सभा के समस्त मौलिक वादों के निर्णयों के विरूद्ध तथा स्थानीय न्याय सभा के निर्णयों के विरूद्ध हुई अपीलों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई सार्वदेशिक न्याय सभा में होगी और जब तक कि सार्वदेशिक न्याय सभा द्वारा यह अपील अस्वीकृत न हो जाये अथवा अपील पर निर्णय में कोई सुधार या परिवर्तन न हो जाये तब तक प्रदेशीय न्याय सभा के ही निर्णय अन्तिम और पूर्ण समझे जायेंगे। प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि क्रमशः सार्वदेशिक व प्रदेशीय न्याय सभा के निर्णयों को मनवायें और कार्य रूप में परिवर्तित करें।

40. सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान की सहमति से प्रदेशीय न्याय सभा का प्रधान इस न्याय सभा की कार्यवाहियों को नियमों में लाने के लिये उप नियम बना सकता है किन्तु ऐसे उपनियम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के विरोधी न हो।

पंजीकृत नियमावली के अष्टम अध्याय–विविध की धारा–62, 63 एवं 64 निम्न व्यवस्था है–

62. कोई व्यक्ति अथवा आर्य समाज (चाहे सम्बद्ध हो अथवा न हो) जिसके विरूद्ध अन्तरंग सभा ने कोई निश्चय लिया हो निर्णय की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।

63–(अ) अपील करने वाला अपील का आवेदन–पत्र सभा के नियमानुसार तथा न्याय सभा के स्वीकृत उप नियमों के अनुकूल सभा में भेजेगा। वह अपील अन्तरंग सभा के सामने प्रस्तुत होगी।

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(आ) अन्तरंग सभा को अधिकार हो कि ऐसी अपील को रोक लें। यदि उपस्थित सदस्यों में से तीन चौथाई इसको रोकने का निश्चय करें, परन्तु ऐसा करने के लिए कारण अंकित करना होगा।

64. यदि अन्तरंग सभा उस अपील को प्रविष्ट करे तो यह उस विषय के अनुरूप उस अपील को साधारण अधिवेशन या न्याय सभा के पास अन्तिम निर्णयार्थ भेज देगी।

यत् सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की पंजीकृत नियमावली की धारा 23 (3) में सार्वदेशिक व प्रान्तीय न्याय सभा के गठन की व्यवस्था दी गयी है। जिसके अन्तर्गत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को न्याय सभा के प्रधान व सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है।

"23 (3) आवश्यकतानुसार सार्वदेशिक वा प्रान्तीय न्याय सभा का नवीन प्रधान वा सदस्य मनोनीत करना।"

यत् आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियम–2 में न्याय सभाओं की नियुक्ति का अधिकार उल्लेखित है–

"2– न्याय सभाओं की नियुक्ति का अधिकार

"1. सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान और उसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की साधारण या नैमित्तिक सभाएं उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत से करेंगी। उसके सात सभासद होंगे जिनमें से एक प्रधान निर्वाचित होगा।

2. (अ) प्रान्तिक न्याय सभा की नियुक्ति सार्वदेशिक न्याय सभा द्वारा होगी। इस सभा के लिए नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या के दुगने नामों की सूची सम्बद्ध प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा बनाकर भेजेगी। उसी सूची में से नियत संख्या में नाम छांट लिए जाएंगे।

(ब) सार्वदेशिक न्याय सभा का प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान से परामर्श करके प्रत्येक प्रान्तिक न्याय सभा के सदस्यों की संख्या नियुक्त करेगा, इस प्रकार नियुक्त हुए सदस्यों में कोई एक सदस्य सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान के द्वारा प्रान्तिक न्याय सभा का प्रधान मनोनीत कर दिया जायेगा।

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

3. (अ) प्रान्तिक न्याय सभा के प्रधान से परामर्श करने के उपरान्त सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान द्वारा सम्बद्ध प्रान्तिक न्याय सभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी एक जिले के लिए अथवा इस प्रकार के एक वर्ग के लिए अथवा किसी समाज विशेष के लिए अथवा सम्बद्ध प्रान्तिक सभा के अधिकार क्षेत्र के आर्यसमाजों के एक वर्ग के लिए स्थानिक न्याय सभा नियुक्त की जायेगी।

(ब) प्रान्तिक न्याय सभा के प्रधान से परामर्श करने के पश्चात् सार्वदेशिक न्याय सभा का प्रधान स्थानिक न्याय सभा के सदस्यों की संख्या नियत करेगा और वही इन सदस्यों में से किसी एक को सम्बद्ध स्थानिक न्याय सभा का प्रधान मनोनीत करेगा।"

यत् आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियम–6 में सार्वदेशिक न्याय सभा के मौलिक अधिकार क्षेत्र के विषय एवं नियम 7–में प्रान्तिक न्याय सभा के मूलभूत अधिकार के क्षेत्र के विषय तथा नियम–12(1) में अपील का अधिकार क्षेत्र उल्लेखित है –

"नियम–7 प्रान्तिक न्याय सभा के मूलभूत अधिकार क्षेत्र के विषयः

निम्नलिखित विषय प्रान्तिक न्याय सभा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे–

सम्बद्ध प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा में प्रविष्ट आर्यसमाजों के पारस्परिक समस्त विवाद और झगड़ें और प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित प्रान्तिक सभा के सदस्यों के पारस्परिक विवाद और झगड़ें।"

नियम–12(1) प्रान्तिक न्याय सभा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय न्याय सभा के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनेगी।

नियम–17(2) में न्याय सभा के निर्णयों को कियान्वित करने/कराने का कर्तव्य/दायित्व सम्बन्धित प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान को प्राप्त है।

आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था/समिति है जिसकी पंजीकृत नियमावली (संशोधित) है। आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ वैधानिक रूप से गठित सभा है तथा आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 की अंतरंग सभा का निर्वाचन व गठन समय समय पर वैधानिक

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

रीति से होता है। वर्तमान अंतरंग सभा दिनांक 27.03.2016 को निर्वाचित है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष अर्थात दिनांक 26.03.2021 तक है।

यत् आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, की अन्तरंग सभा की बैठक दिनांक 01.11.2015 के निश्चयानुसार 14 नाम प्रदेशीय न्याय सभा के गठन हेतु संस्था के पत्रांक–385 दिनांक 14.12.2015 के द्वारा सार्वदेशिक न्याय सभा आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के समक्ष भेजे गये। तत्क्रम में तथाकथित प्रधान सार्वदेशिक न्याय सभा श्री आरएस तोमर एडवोकेट ने आदेश दिनांक 22.12.2015 द्वारा निम्न सात व्यक्तियों को प्रान्तीय न्याय सभा का सदस्य एवं प्रधान नियुक्त किया है।

1. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, पुत्र स्व0 श्री पारसनाथ शर्मा, प्रधान, उ0प्र0 न्यायसभा।
2. श्री विवेक सिंह, एडवोकेट, पुत्र स्व0 प्रो0 कैलाशनाथ सिंह, सदस्य, उ0प्र0 न्याय सभा।
3. श्री प्रदीप कुमार वर्मा, एडवोकेट, पुत्र श्री राममनोहर सिंह, सदस्य, उ0प्र0 न्याय सभा।
4. श्रीमती नीलम पाण्डेय, एडवोकेट, सदस्य, उ0प्र0 न्याय सभा।
5. श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, पुत्र श्री एसएस लाल, सदस्य, उ0प्र0 न्याय सभा।
6. श्री श्यामसुन्दर एडवोकेट, पुत्र श्री कन्ही सिंह, सदस्य, उ0प्र0 न्याय सभा।
7. श्री आशुतोष गुप्ता, पुत्र श्री केवीएल गुप्ता, सदस्य, उ0प्र0 न्याय सभा।

यत् प्रान्तीय न्याय सभा का गठन आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 की पंजीकृत नियमावली के षष्ठ अध्याय में दिये गये नियमों/प्रावधानों के अनुरूप नहीं है एवं विपरीत है। धारा–33 में केवल पुरूष वर्ग के नामों को प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा की अंतरंग सभा द्वारा मनोनित कर भेजने का प्रावधान है। परन्तु तथाकथित प्रधान सार्वदेशिक न्याय सभा के आदेश दिनांक 22.12.2015 से एक महिला सदस्य न्याय सभा को भी नियुक्त किया गया है। नियमावली की धारा–33 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्य एवं प्रधान किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा अथवा किसी आर्य समाज की प्रबन्धकारिणी एवं अंतरंग सभा के सदस्य न हो। श्री अखिलेश शर्मा कथित प्रधान प्रान्तीय न्याय सभा आर्य समाज नरही के अंतरंग सभा के सदस्य एवं आर्य सभासद है। श्री विवेक सिंह, एडवोकेट, पुत्र स्व0 प्रो0 कैलाशनाथ सिंह, कथित सदस्य प्रान्तीय न्याय सभा काशी आर्य समाज, बालानाला, जिला वाराणसी के उपप्रधान है। श्रीमती नीलम पाण्डेय, एडवोकेट, कथित सदस्य, प्रान्तीय न्याय सभा एक महिला सदस्य हैं। शेष चार अन्य कथित सदस्य, प्रान्तीय न्याय सभा की भी योग्यता संदिग्ध है तथा निष्क्रिय सदस्य है। जोकि

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

प्रान्तीय न्याय सभा का गठन पंजीकृत नियमावली की धारा–33 में दिये गये नियमों/प्रावधानों के विपरीत एवं दूषित है।

यत् प्रान्तीय न्याय सभा के अधिकार क्षेत्र पंजीकृत नियमावली की धारा–37 एवं आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियम–7 एवं 12(1) में प्राविधानित है। उक्त अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही प्रान्तीय न्याय सभा को विवाद एवं अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। संस्था की पंजीकृत नियमावली की धारा–62, 63 एवं 64 में अपील के सम्बन्ध में अन्तरंग सभा के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या है। अन्तरंग सभा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत के विषय में सम्बन्धित विषय को उसके अनुरूप सभा के साधारण अधिवेशन में अथवा न्याय सभा के समक्ष निर्णयार्थ हेतु अन्तरंग सभा द्वारा प्रान्तीय न्याय सभा के समक्ष प्रेषित अपील के सम्बन्ध में ही सुनवाई करने एवं निर्णय देने का अधिकार है। यत् प्रान्तीय न्याय सभा ने नियमों का उल्लंघन करते हुये प्राप्त क्षेत्राधिकार के विपरीत आदेश सं0–9–20 दिनांक 04.01.2020, आदेश सं0–21–23 दिनांक 15.01.2020, आदेश सं0–24–35 दिनांक 15.01.2020 एवं आदेश सं0–36–46 दिनांक 22.01.2020 पारित किया है।

यत् तत्समय संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ के प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा थे। तत्कालीन प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को संस्था विरूद्ध कार्य करने, संस्था की सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द करने एवं संस्था को क्षति पहुंचाने के आरोप में संस्था प्रधान एवं सभा प्रतिनिधि पद से दिनांक 27.03.2018 को छः वर्षों के लिये सभा से निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में श्री देवेन्द्र पाल वर्मा की आर्य समाज की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दिया गया है।

यत् सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में विगत कई वर्षों से आन्तरिक विवाद के कारण सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग सभा का निर्वाचन नहीं हुआ है। तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तीन गुटों में विभाजित है। तत्सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 (Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha Vs. Kailash Nath & others) प्रचलित है। जिसमें निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की गयी है–

1. Declaration that there is only one Sarvdashik Arya Pratinidhi Sabha, i.e. Plaintiff Sabha, having presently its registered and head office in 3/5, Maharishi

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

Dayanand Bhawan, Ram Leela Maidan, Asif Ali Road, Delhi bearing registration No.S-11, Registered with the office of Registrar Societies, Delhi, under the Societies Registration Act, 1860, and none else.

2. Declaration that the claim of the defendants and their associates having been elected as office bearers of Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha or its Antarang Sabha, as appearing in the news in the newspaper Daily Punjab Kesari, Delhi Edition dated 13-09-2004 or elsewhere is nonest, baseless and being so wrong, illegal, unlawful and unauthorized and further declaration that none other than the plaintiff Sabha is entitled to use the name of Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha.

3. Mandatory injunction, directing the defendants and their associates to publish in news papers showing conspicuously that the News concerning Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha already published in the newspaper Daily Punjab Kesari, Delhi Edition dated 13-09-2004 or elsewhere, is false.

4. Permanent Injunction, restraining the defendants and their associates, from using the name of the plaintiff Sabha for any purpose, whatsoever, and without prejudice to the generality of 'any purpse whatsoever', from claiming to be office bearers or elected or nominated representatives of Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha i.e. the plaintiff Sabha.

5. Permanent injunction restraining the defendants and their associates from interfering in the peaceful working, activities, programmes and peaceful possession and use of the properties and the assets possessed by the plaintiff Sabha and its constituent bodies.

6. Such other and further order/orders be passed and relief/reliefs granted as the Hon'ble Court deems fit and proper.

7. Cost of the suit be also awarded in favour of the plaintiff and against the defendants.

यत् सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग सभा का निर्वाचन 03.11.2001 को हुआ था जिसका 3 वर्षीय कार्यकाल दिनांक 02.11.2004 तक था तत्पश्चात् विवाद की स्थिति में निर्वाचन न होने से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग सभा का वैधानिक

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

गठन नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 and I.A. No.10032/2008 में आदेश दिनांक 29.08.2008 पारित कर पक्षों को प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया एवं यह आदेशित किया कि पक्षगण अग्रिम तिथि तक कोई निर्वाचन नहीं करेंगे। आदेश दिनांक 29.08.2008 निम्नलिखित है:

"It has been suggested that Court Commissioners can be appointed to take over management and custody of all assets with the three fractions. The said Court Commissioners will also examine the list of members, prepare a common
electoral roll and hold elections within a period of six months. Till elections are held, Court Commissioners will manage the affairs and hold assets but will submit statement of accounts i.e. statement of income and expenditure and rentals etc. being received to all the three groups. An independent Chartered Accountant will be also appointed to oversee income, expenditure and furnish statement of accounts. The said Chartered Accountant will also examine accounts
for earlier years. After the elections are held, Court Commissioners will hand over charge to the newly elected office bearers.
Learned counsel for the parties have taken instructions and prima facie agree with the aforesaid terms. They, however, pray for some time to furnish list of assets, bank accounts and other details. The said list will be also exchanged inter se the three groups. Learned counsel for the parties furtherstate that they shall maintain status quo and not hold any elections till the next date of hearing.
List again on 10th September, 2008."

पुनः माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 में दिनांक 11.12.2008 को निम्न आदेश पारित किये–

"I. Parties agree that elections should be held to sort cut the disputes once and for all. This is the permanent and lasting solution. Today, there are three factioins and there was difficulty in agreeing to the modalities for holding the elections and the management in the interregnum till elections are held. A number of suggestions have been given from time to

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

time. The matter was taken up for consideration on 3rd December, 2008 when on both aspects suggestions were given and parties were asked to consider the same. Today, the matter was called out at 2.00 p.m. and parties were heard and hereafter the matter was passed over for 3.00 p.m. In the meanwhile, Mr. V.P. Chaudhary, Sr. Advocate has circulated suggestions. The matter is again taken up at 3.00 p.m. All parties have agreed to modalities etc.

II. Parties have agreed to the following consent order:

1. Election of the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha will be held expeditiously and within six months.
2. Mr. Justice Jawahar Lal Gupta, Mr. Justice K. Ramamoorthy and Mr. Justice S.K. Mahajan, retired Chief Justice and Judges of High Court are appointed as the Court Receivers/Commissioners/Election Officers to conduct the elections.
3. The Court Receivers/Commissioners/Election Officers shall examine the electoral rolls and claims of provincial affiliated bodies. The Court Receivers/Commissioners/Election Officers will examine, consider and dispose of objections, if any, with regard to electoral rolls by majority decision. While deciding the objections/challenge, the Court Commissioners/Receivers/Election Officers will be bound by the Constitution and the Rules and Sabha. The preliminary meeting will be held by the Court Receivers/Commissiones/Election Officers expeditiously and preferably within fifteen days, which can be attended by two representatives of each faction and their counsel for giving their suggesions for early holding of elections.
4. The three fractions in the iterregnum will continue to manage their afairs but shall not transfer any immovable property or create any third party interest including interest by way of lease/license till elections are held. Each of the three factions will furnish monthly statement of accounts of all income/receipts and expenditure/outgoing/expenses to the Court Receivers/Commissioners/Election Officers with copy of the other

(डा० धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(9)

two factions through their counsel. The three factions will also maintain proper accounts for purpose of verification.

5. The elections will be held at the registered office of the Sabha at Dayanand Bhawan, 3/5 Asaf Ali Road, New Delhi. Appropriate office space will be provided by the defendant faction for the said purpose. The Court Receivers/Commissioners/Election Officers will be competent to appoint/engage temporary independent staff for the purpose of conducting election and comply with the other terms and conditions of this order. The office bearers of the three factioins and their counsel will have access and are permitted to meetin the Court Receivers/Commissioners/Election Officers in gthe said office space so allocated. Preferably, all meetings for deciding objections will be held at the registered office but it will be open to the Court Receivers/Commissioners/Election Officers by mutual consent to visit and hold meetings outside Delhi, if required.
6. If there is any difference or difficulty, parties will first approach the Court Receivers/Commissioners/Election Officers and if required, approach this Court for appropriate orders/directionhs/clarification.
7. Once elections are held, the new office bearers will immediately take over the charge of all the assets of the Sabha under control and management of the three factions including the registered office, irrespective of whether any faction has decided to challenge the election.
8. The Court Receivers/Commissioners/Election Officers will be initially paid a sum of Rs.50,000/- each and Rs.25,000/- p.m. The said amount will be paid from the Savings Bank A/c. No.34829 of the Sabha in Punjab National Bank, Minto Road, New Delhi and short fall, if any will be made from the Savings Bank Account No.320052691 of the Sabha in American Express Bank, Connaught Place, New Delhi. In case there is any further shortfall additional expenses will be paid and shared equally by the three factions.

(डा० धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(10)

9. The three factions will furnish complete books of accounts and records to the newly elected office bearers within four days from the date results are declared, through the Court Receivers/ Commissioners/ Election Officers.
10. The Court Receivers/ Commissioners/ Election Officers will be entitled to operate the two bank accounts mentioned above for making payment of the honorarium fixed above and also for meeting miscellaneous expenses and payment to staff.

Relist CS(OS) No.1146/2004 and applications on 21st May, 2009.

Copy of this order will be sent to Mr. Justice Jawahar Lal Gupta (retd.), Mr. Justice K. Ramamoorthy (retd.) and Mr. Justice S.K. Mahajan (retd.), Punjab National Bank, Minto Road, New Delhi and American Express Bank, Cannaught Place, New Delhi.

DASTI to counsel for the parties under signature of the Court Master.

December 11, 2008 Sanjiv Khanna, J."

वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 में पारित उक्त आदेश दिनांक 11.12.2008 से स्पष्ट है कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अंतरंग सभा कालातीत है एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तीन गुटों में विभाजित है। माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.12.2008 द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में निर्वाचन हेतु नियुक्त 3 सदस्यीय कोर्ट रिसीवर/कमिश्नर/इलेक्शन आफिसर्स माननीय न्यामूर्ति जवाहर लाल गुप्ता (सेवानिवृत्त), माननीय न्यामूर्ति के रामामूर्ति (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायामूर्ति एस के महाजन न्यामूर्ति द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में निर्वाचन 6 माह में किया जाना था। कोर्ट रिसीवर/कमिश्नर/इलेक्शन आफिसर्स को निर्वाचन/सदस्य सूची का परीक्षण एवं सम्बद्ध प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के दावों का निस्तारण किया जाना था। निर्वाचन तक तीनों गुट कार्यरत रहेंगे। निर्वाचन पश्चात् तीनों गुटों द्वारा अपने कार्यभार अविलम्ब निर्वाचित कमेटी को सौंपा जाना था।

पुनः माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 में दिनांक 01.04.2013 को निम्न आदेश पारित किये –

1. The suit pertains to the management of plaintiff No.1 Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, a Society registered under the Societies Registration Act, 1882.

(डा० धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(11)

2. The order dated 11th December, 2008 in this suit records the agreement of all the parties to the suit that elections be held to sort out the disputes once and for all. The said order notices that there are three factions and there was difficulty in holding of the elections. Accordingly, elections were directed to be held within six months and three retired Judges were appointed as the Court Receivers/Commissioners/Election Officers to CS(OS) 1146/2004 conduct the elections and it was further directed that the new office bearers were to take over the charge of all the assets under the control and management of all the three factions of the plaintiff No.1 Society. Detailed guidelines in this regard are also contained in the said order.
3. However, the suit was not disposed of in terms of the said order and was kept pending and which has lead to several applications being filed from time to time and the elections which were to be held within six months i.e. by June, 2009 have not been held till now.
4. Mr.V.P. Chaudhary, senior counsel appearing for one of the factions of which Captain Dev Rattan Arya was the president and Mr. Prakash Arya was the secretary states that Captain Dev Rattan Arya has passed away and I.A. No.19724/2012 has been filed for substituting the name of Mr. Baldev Acharya in place of Captain Dev Rattan Arya.
5. On enquiry as to what is the need for such substitution once elections have been ordered to be held, the senior counsel states that the faction has to be represented before the Court Commissioners and thus the necessity.
6. The counsel for the faction of which Mr. Agnivesh is the president and Mr. Kailash Nath Singh Yadav was the secretary states that Mr. Kailash Nath Singh Yadav has also recently passed away. He however states that there is no necessity for such substitution and the elections ought to be directed to be held immediately.
7. None appears for the third faction of which Mr. Mithai Lal is the president and Mr. Swatanter Kumar claims to be the secretary.

(डा० धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(12)

संस्थापित 1886 ई0
पंजीकरण तिथि 5 जनवरी, 1897

ओ३म्

✆: 0522-2286328

आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश

श्री नारायण स्वामी भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ-226001
ई-मेल-apsabhaup86@gmail.com

पत्रांक : 2395-2419 दिनांक : 27/01/2020

आदेश

संस्था की अन्तरंग सभा के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 19.01.2020 में पंजीकृत नियमावली के नियम 5 (ए) के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक में प्रदेशीय न्याय सभा के विषय में लिये गये निर्णय के कम में निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

आर्य प्रतिनिधि सभा उ0 प्र0 के पंजीकृत नियमावली के षष्ठ अध्याय में प्रदेशीय न्याय सभा के गठन एवं क्षेत्राधिकार की निम्न व्यवस्था दी गयी है–

षष्ठ अध्याय–प्रदेशीय न्याय सभा

32. प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्य जो कि प्रदेशीय न्यायाधीश कहलायेंगे, उनकी सदस्य संख्या उतनी ही होगी, जितनी कि सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के परामर्श से नियत करेंगे और इन सदस्यों में से एक सदस्य न्याय सभा का प्रधान होगा जो कि प्रदेशीय प्रधान न्यायाधीश कहा जायेगा।

33. प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्यों और प्रधान की नियुक्ति सार्वदेशिक न्याय सभा करेगी इन सदस्यों को उस नाम सूची पुरूष वर्ग में से लिया जायेगा कि जिसकी संख्या नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या से दुगुनी होगी और उस पुरूष वर्ग के नामों को संबंधित प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा मनोनीत कर भेजेगी। उक्त अनुशासित पुरूष सूची में वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत संघ में जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों। किन्तु जो किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा अथवा किसी आर्य समाज की प्रबंधकारिणी अथवा अन्तरंग सभा के सदस्य न हों।

34. प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 7 और 5 वर्ष तक रहेगी। किन्तु यह सदस्य पुनः नियुक्त हो सकेंगे।

35. प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान और सदस्यों को सार्वदेशिक न्याय सभा पृथक कर सकेगी।

36. प्रदेशीय न्याय सभा के सदस्यों का पृथककरण, मृत्यु, त्याग पत्र अथवा किसी अन्य अयोग्यता के कारण रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति उसी प्रकार की जायेगी, जिस तरह

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

कि उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, जिसकी कि स्थान पूर्ति करनी है, किन्तु स्थान रिक्त रहने की दशा में भी न्याय सभा की कार्यवाहियां अनियमित नहीं होगी।

37. यह प्रदेशीय न्याय सभा उन समस्त वादों और विरोधों को सुनेगी, जो प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्बद्ध आर्य समाजों के मध्य उत्पन्न हुये हों अथवा जो प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य के बीच सभा सम्बन्धी विषयों से सम्बद्ध और यह आर्य समाजों के सदस्यों के बीच उत्पन्न हुये ऐसे विवादो और मतभेदों को भी सुनेगी, जिन्हें प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान अथवा प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान निर्णयार्थ जिसके समक्ष भेजेंगे। यह सभा स्थानिक न्याय के निर्णयों के विरूद्ध आयी हुयी अपीलों (अभ्यर्थनाओं) को सुनेगी और उनका निर्णय करेंगी।

38. प्रदेशीय न्याय सभा की समस्त कार्यवाही प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान द्वारा समय–समय पर की हुई सदस्य संख्या के समक्ष होंगी, किन्तु प्रदेशीय न्याय सभा के प्रति की हुयी अपील के लिये आवश्यक होगा कि यह न्याय सभा के न्यूनातिन्यून तीन सदस्यों के समक्ष सुनी जाये और समस्त निर्णय चाहे वे किसी प्रकार के हों, उन सभासदों के बहुमत के अनुसार होंगे। प्रधान जी की अनुपस्थिति में जब तक कि नवीन प्रधान की नियुक्ति न हो उस समय तक प्रधान का कार्य वह सदस्य करेगा जिसका नाम नियुक्त हुये वर्तमान सभासदों में सबसे प्रथम रहा हो।

39. प्रदेशीय न्याय सभा के समस्त मौलिक वादों के निर्णयों के विरूद्ध तथा स्थानीय न्याय सभा के निर्णयों के विरूद्ध हुई अपीलों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई सार्वदेशिक न्याय सभा में होगी और जब तक कि सार्वदेशिक न्याय सभा द्वारा यह अपील अस्वीकृत न हो जाये अथवा अपील पर निर्णय में कोई सुधार या परिवर्तन न हो जाये तब तक प्रदेशीय न्याय सभा के ही निर्णय अन्तिम और पूर्ण समझे जायेंगे। प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि क्रमशः सार्वदेशिक व प्रदेशीय न्याय सभा के निर्णयों को मनवायें और कार्य रूप में परिवर्तित करें।

40. सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान की सहमति से प्रदेशीय न्याय सभा का प्रधान इस न्याय सभा की कार्यवाहियों को नियमों में लाने के लिये उप नियम बना सकता है किन्तु ऐसे उपनियम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के विरोधी न हो।

पंजीकृत नियमावली के अष्टम अध्याय–विविध की धारा–62, 63 एवं 64 निम्न व्यवस्था है–

62. कोई व्यक्ति अथवा आर्य समाज (चाहे सम्बद्ध हो अथवा न हो) जिसके विरूद्ध अन्तरंग सभा ने कोई निश्चय लिया हो निर्णय की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।

63–(अ) अपील करने वाला अपील का आवेदन–पत्र सभा के नियमानुसार तथा न्याय सभा के स्वीकृत उप नियमों के अनुकूल सभा में भेजेगा। वह अपील अन्तरंग सभा के सामने प्रस्तुत होगी।

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(आ) अन्तरंग सभा को अधिकार हो कि ऐसी अपील को रोक लें। यदि उपस्थित सदस्यों में से तीन चौथाई इसको रोकने का निश्चय करें, परन्तु ऐसा करने के लिए कारण अंकित करना होगा।

64. यदि अन्तरंग सभा उस अपील को प्रविष्ट करे तो यह उस विषय के अनुरूप उस अपील को साधारण अधिवेशन या न्याय सभा के पास अन्तिम निर्णयार्थ भेज देगी।

यत् सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की पंजीकृत नियमावली की धारा 23 (3) में सार्वदेशिक व प्रान्तीय न्याय सभा के गठन की व्यवस्था दी गयी है। जिसके अन्तर्गत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को न्याय सभा के प्रधान व सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है।

"23 (3) आवश्यकतानुसार सार्वदेशिक वा प्रान्तीय न्याय सभा का नवीन प्रधान वा सदस्य मनोनीत करना।"

यत् आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियम–2 में न्याय सभाओं की नियुक्ति का अधिकार उल्लेखित है–

"2– न्याय सभाओं की नियुक्ति का अधिकार

"1. सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान और उसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की साधारण या नैमित्तिक सभाएं उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत से करेंगी। उसके सात सभासद होंगे जिनमें से एक प्रधान निर्वाचित होगा।

2. (अ) प्रान्तिक न्याय सभा की नियुक्ति सार्वदेशिक न्याय सभा द्वारा होगी। इस सभा के लिए नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या के दुगने नामों की सूची सम्बद्ध प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा बनाकर भेजेगी। उसी सूची में से नियत संख्या में नाम छांट लिए जाएंगे।

(ब) सार्वदेशिक न्याय सभा का प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान से परामर्श करके प्रत्येक प्रान्तिक न्याय सभा के सदस्यों की संख्या नियुक्त करेगा, इस प्रकार नियुक्त हुए सदस्यों में कोई एक सदस्य सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान के द्वारा प्रान्तिक न्याय सभा का प्रधान मनोनीत कर दिया जायेगा।

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

3. (अ) प्रान्तिक न्याय सभा के प्रधान से परामर्श करने के उपरान्त सार्वदेशिक न्याय सभा के प्रधान द्वारा सम्बद्ध प्रान्तिक न्याय सभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी एक जिले के लिए अथवा इस प्रकार के एक वर्ग के लिए अथवा किसी समाज विशेष के लिए अथवा सम्बद्ध प्रान्तिक सभा के अधिकार क्षेत्र के आर्यसमाजों के एक वर्ग के लिए स्थानिक न्याय सभा नियुक्त की जायेगी।

(ब) प्रान्तिक न्याय सभा के प्रधान से परामर्श करने के पश्चात् सार्वदेशिक न्याय सभा का प्रधान स्थानिक न्याय सभा के सदस्यों की संख्या नियत करेगा और वही इन सदस्यों में से किसी एक को सम्बद्ध स्थानिक न्याय सभा का प्रधान मनोनीत करेगा।"

यत् आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियम–6 में सार्वदेशिक न्याय सभा के मौलिक अधिकार क्षेत्र के विषय एवं नियम 7–में प्रान्तिक न्याय सभा के मूलभूत अधिकार के क्षेत्र के विषय तथा नियम–12(1) में अपील का अधिकार क्षेत्र उल्लेखित है –

"नियम–7 प्रान्तिक न्याय सभा के मूलभूत अधिकार क्षेत्र के विषयः

निम्नलिखित विषय प्रान्तिक न्याय सभा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे–

सम्बद्ध प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा में प्रविष्ट आर्यसमाजों के पारस्परिक समस्त विवाद और झगड़ें और प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित प्रान्तिक सभा के सदस्यों के पारस्परिक विवाद और झगड़ें।"

नियम–12(1) प्रान्तिक न्याय सभा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय न्याय सभा के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनेगी।

नियम–17(2) में न्याय सभा के निर्णयों को कियान्वित करने/कराने का कर्तव्य/दायित्व सम्बन्धित प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान को प्राप्त है।

आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था/समिति है जिसकी पंजीकृत नियमावली (संशोधित) है। आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ वैधानिक रूप से गठित सभा है तथा आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 की अंतरंग सभा का निर्वाचन व गठन समय समय पर वैधानिक

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

और स्थानीय आर्य समाजों के विवादों के शमन हेतु न्याय सभा का गठन किया गया था। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में न्याय सभा का प्राविधान है। 2005 के बाद से आज तक न्याय सभा गठन नहीं हुआ है। श्री आर0एस0 तोमर किसी न्याय सभा के अध्यक्ष (प्रधान) नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2008 में यह आदेश पारित किया गया कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव तीन कोर्ट कमिश्नर (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा कराये जाये। वर्ष 2008 से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ, विवाद कोर्ट कमिश्नर के समक्ष लम्बित हैं अभी तक चुनाव हेतु कोई तिथि निश्चित नहीं है।

अतएव निचोड़ात्मक रूप से उपरोक्त तथ्यों एवं नियमों के परिशीलन के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2008 के बावजूद सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं उसकी अंतरंग सभा निर्वाचन/गठन अद्यतन नहीं किया गया है अतः सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं उसकी अंतरंग सभा कालातीत है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तीन गुटों में विभाजित है तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2008 तत्पश्चात् पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.04.2013 से तीन सदस्यीय कोर्ट रिसीवर/कमिश्नर/इलेक्शन आफिसर्स (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय) नियुक्त/कार्यरत है। श्री आरएस तोमर एक गुट के अधिवक्ता है एवं निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है जिनकी सार्वदेशिक न्याय सभा के पद पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी/निर्वाचित सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा पंजीकृत नियमावली की धारा–23(3) के अन्तर्गत नहीं किया गया है तथा नियुक्ति संदिग्ध है। श्री आरएस तोमर की प्रधान सार्वदेशिक न्याय सभा पद पर तथाकथित नियुक्ति पर तीनों गुटों एवं कोर्ट रिसीवर/कमिश्नर/ इलेक्शन आफिसर (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय) की सहमति प्राप्त नहीं है। श्री आरएस तोमर, तथाकथित प्रधान, सार्वदेशिक न्याय सभा की नियुक्ति अवैधानिक होने के कारण उन्हें प्रान्तीय न्याय सभा के प्रधान व सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अतः श्री आरएस तोमर, तथाकथित प्रधान, सार्वदेशिक न्याय

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(17)

सभा के आदेश दिनांक 22.12.2015 द्वारा गठित प्रान्तीय न्याय सभा, उ0प्र0 आर्य प्रतिनिधि सभा अवैधानिक एवं शून्य है। प्रान्तीय न्यायसभा के प्रधान व सदस्यों की नियुक्ति अयोग्य व्यक्तियों से एवं पंजीकृत नियमावली के नियम–33 में उल्लिखित नियमों के विपरीत की गयी है। प्रान्तीय न्याय सभा ने नियमों का उल्लंघन करते हुये प्राप्त क्षेत्राधिकार के विपरीत आदेश सं0– 9–20 दिनांक 04.01.2020, आदेश सं0–21–23 दिनांक 15.01.2020, आदेश सं0–24–35 दिनांक 15.01.2020 एवं आदेश सं0–36–46 दिनांक 22.01.2020 पारित किया है।

एतद्द्वारा अधोहस्ताक्षरी संस्था प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ0प्र0 की पंजीकृत नियमावली के नियम 5(ए) के अन्तर्गत संस्था की अंतरंग सभा के पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 19.01.2020 में लिये गये निर्णय के कम में एवं अधोहस्ताक्षरी संस्था प्रधान पंजीकृत नियमावली के नियम –5(ई), नियम–39 एवं आर्य समाज की न्याय सभाओं के नियम–17(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री आरएस तोमर एडवोकेट, तथाकथित प्रधान, सार्वदेशिक न्याय सभा के आदेश दिनांक 22.12.2015 द्वारा अवैधानिक रूप से गठित/नियुक्त प्रान्तीय न्याय सभा, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त क्षेत्राधिकार के विपरीत नियमों का उल्लंघन कर पारित आदेश सं0–9–20 दिनांक 04.01.2020, आदेश सं0–21–23 दिनांक 15.01.2020, आदेश सं0–24–35 दिनांक 15.01.2020 एवं आदेश सं0–36–46 दिनांक 22.01.2020 के कियान्वयन पर रोक लगायी जाती है। तथा

संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 के अन्तरंग सभा द्वारा पंजीकृत नियमावली की धारा–33 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत प्रान्तीय न्याय सभा के वैधानिक पुनर्गठन हेतु योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्तियों का नाम संस्तुत/मनोनीत कर प्रेषित करने एवं प्रेषित नामों में से सक्षम प्राधिकारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली द्वारा वैधानिक रीति से नियुक्ति प्राप्त सार्वदेशिक न्याय सभा द्वारा प्रान्तीय न्याय सभा उ0प्र0 के प्रधान एवं सदस्यों की नियुक्ति करने/प्रान्तीयन्याय सभा के वैधानिक पुनर्गठन होने तक, श्री आरएस तोमर, तथाकथित प्रधान, सार्वदेशिक न्याय सभा द्वारा दिनांक 22.12.2015 को अवैधानिक रीति से नियुक्त प्रान्तीय न्याय सभा, उ0प्र0 के प्रधान एवं सदस्यों को संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा के मुख्यालय

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा
5 मीराबाई मार्ग

(18)

नारायण स्वामी भवन, 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ पर बैठक करने, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ0प्र0 एवं उससे सम्बन्धित स्थानीय इकाईयों आर्य समाज एवं जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के वाद/अपील एवं प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने, तत्सम्बन्ध में आदेश पारित करने पर संस्था हित में तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है।

दिनांक

(डा0 धीरज सिंह "आर्य")
प्रधान

पृष्ठांकन / 2019–2020 / उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय न्यायमूर्ति विजेन्द्र जैन (सेवानिवृत्त), माननीय न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायमूर्ति पानाचन्द (सेवानिवृत्त), वाद संख्या CS(OS) 1146/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2008 सपठित आदेश दिनांक 20.07.2015 द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय कोर्ट रिसीवर/कमिश्नर/इलेक्शन आफीसर, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5, आसफ अली रोड, महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान के सामने, नई दिल्ली।
2. स्वामी अग्निवेश, पूर्व प्रधान (प्रथम गुट) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5, आसफ अली रोड, महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान के सामने, नई दिल्ली।
3. श्री प्रकाश आर्य, पूर्व मंत्री (द्वितीय गुट) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 15, हनुमान रोड, नई दिल्ली।
4. श्री आर.एस.तोमर, एडवोकेट, तथाकथित प्रधान (प्रथम गुट), सार्वदेशिक न्याय सभा, पता–सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5, आसफ अली रोड, महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान के सामने, नई दिल्ली।
5. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, पुत्र स्व0 पारसनाथ शर्मा, कथित प्रधान, प्रान्तीय न्याय सभा, उ0प्र0।
6. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कथित मंत्री, आर्य समाज (सिविल लाइन्स), नरही, लखनऊ।

(डा0 धीरज सिंह)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0
5 मीराबाई मार्ग लखनऊ

(19)

9. डा0 भानू प्रताप आर्य, प्रतिष्ठित सदस्य, आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 लखनऊ निवासी–एच.आई.जी–40/1, टिकैतराय एल.डी.ए. कालोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ–226017
10. श्री ओमपाल आदि, मंत्री आर्य समाज, कसौली, पोस्ट–चौकड़ा, जिला–मुजफ्फरनगर।
11. श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र श्री सुदेश, प्रशासक आर्य समाज, कसौली, पोस्ट–चौकड़ा, जिला–मुजफ्फरनगर।
12. श्री गोपीकृष्ण आर्य, मंत्री, आर्य समाज, सीतापुर।
13. श्री आचार्य सोमनाथ दीक्षित, निशातनगर, सीतापुर, प्रशासक, आर्य समाज, सीतापुर।
14. श्रीमान् जिलाधिकारी, लखनऊ।
15. श्रीमान जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
16. श्रीमान जिलाधिकारी, सीतापुर।
17. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
18. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
19. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
20. श्रीमान् डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, 22, स्टेशन रोड, तृतीय तल, विकासदीप, लखनऊ।
21. श्रीमान् संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
22. श्रीमान् जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय), लखनऊ।
23. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, हजरतगंज, लखनऊ।
24. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, सीतापुर।
25. श्रीमान् थानाध्यक्ष, चरथावल, जनपद–मुजफ्फरनगर।

(डा0 धीरज सिंह "आर्य")
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि
5 मीराबाई मार्ग

(20)

आर्य मित्र
नारायण स्वामी भवन, ५-मीराबाई मार्ग, लखनऊ दूरभाष : ०५२२-२२८६३२८
का० प्रधान- ०६४१२७४४३४१, व्यवस्थापक- ६३२०६२२२०५
ई-मेल : apsabhaup86@gmail.com ई-मेल आर्य मित्र aryamitrasaptahik@gmail.com

सेवा
.....
.....

आर्य वीर दल स्थापना दिवस (26 जनवरी 1930) पर विशेष

–अरविन्द कुमार ''निर्गुण''
शोधार्थी, संस्कृत विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

आर्यवीर दल (उद्देश्य विषयक)

भारत माँ की दबी हुई, उन इच्छा और अरमानों का।
आर्यवीर दल एक संगठन देशभक्त नौजवनों का।।
यूं तो अपनी भारतभूमि पर भी अनेक संगठन है।
और हर इक भारतवासी में देशभक्ति का चिन्तन है।।
फिर भी कुछेक संगठन, और लोग निराले होते हैं।
देश, धर्म की वेदी पर मर मिटने वाले होते हैं।।
उनमें से ही आर्यवीरदल' एक धधकती ल्वाला है।
आर्यसमाज है वीर प्रसूता यह प्यारा सा लाला है।।
छोटा–सा संकुल न समझो हिन्दुस्तान की थाती है।
तूफानों में दिया जलेगा यह तो ऐसी बाती है।।
इस बाती पर न्यौछावर जो, धन्यवाद परवानों का।
आर्यवीर दल एक संगठन ..... ।।१।।
उद्देश्य प्रथम 'शक्ति–संचय' का भी बहुत जरूरी है।
लीला सब जगति–भर की शक्ति–बिन लगे अधूरी है।।
शक्तिहीन का कार्य कहो क्या? भक्ति, मुक्ति न शक्ति बिना।
काँटों के पथ कौन चलेगा? फूल भी चुभते शक्ति बिना।।
बिन शक्ति के व्यक्ति को जीना दुष्वारी लगता है।
शक्तिहीन व्यक्ति को तो मरना संसारी लगता है।।
ऐ आर्यवीरों! बन शक्तिमान सब दुनियां को दिखला दो तुम।
अखिल विश्व में ओ३म् पताका, अब फिर से फहरा दो तुम।।
अभयदान निर्बलजन को दो गलाघोट शैतानों का।
आर्यवीर दल एक संगठन ..... ।।२।।
ध्येय दूसरा 'संस्कृति–रक्षा' का भी नहीं भुलाना है।
निज संस्कृति का जनमानस में जाकर पाठ पढ़ाना है।।
व्रजपात संस्कृति अपनी पर हुआ लोप संस्कारों का।
एकाकी भी दम घुटता है देख पतन परिवानों का।।
अभिवादन भी भूल गये कैसा दुश्चक्र चलाया है।
हाय डेड और हाय मॉम का हाय जमाना आया है।।
न अपना कोई वेश, रहा परिवेश न कोई भाषा है।
इंडियन कल्चर की मेरे मित्रों क्या ऐसी परिभाषा है।।
सम्मान करो अपनी भाषा का और स्वदेशी बानों का।
आर्यवीर दल एक संगठन ..... ।।३।।
संस्कृति रक्षक आर्यवीर निज तन को फौलानी कर लो।
ध्येय तीसरा निज मन को 'पर–सेवा' का आदी कर लो।।
निर्बल और असहाय मिले तो यथायोग सहयोग करो।
परोपकारी बन करके शक्ति का सदुपयोग करो।।
सेवा–भाव जाग्रत कर उर में आर्यवीर जब घूमेगा।
हिन्दुस्तान भी निश्चित उन्नत नव शिखरों को चूमेगा।।
विद्वेष तजो और मिलके रहो कुछ करने की जो आशा है।
आर्यवीर दल के सपनों की 'निर्गुण' यह परिभाषा है।।
सद्बुद्धि का वर्णन होवे पटाक्षेप अज्ञानों का।
आर्यवीर दल एक संगठन ..... ।।४।।

आवश्यक सूचना

प्रदेशीय विद्यार्य सभा उ०प्र०, (नारायण स्वामी भवन), मीराबाई मार्ग, लखनऊ की एक आवश्यक बैठक दिनांक ०२.०२.२०२० दिन रविवार दोपहर ०३.०० बजे से संस्था कार्यालय नारायण स्वामी भवन, ५–मीराबाई मार्ग, लखनऊ में सम्पन्न होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार एवं निर्माण लिये जायेंगे। आपकी उपस्थिति अतिआवश्यक एवं प्रार्थनीय है। –डॉ० आर.आर. चतुर्वेदी, प्रधान

आर्य समाज एवं आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सूचना

लखनऊ : दिनांक २४ जनवरी, २०२० को आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ के प्रधान–डॉ० धीरज सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त आर्य समाजों के सदस्यों, पदाधिकारियों से निवेदन है, कि वे सोमवार दिनांक ०३ फरवरी २०२० को प्रातः १०.०० बजे से आर्य समाज प्रतापगढ़ एवं इसके द्वारा संचालित शीतला प्रसाद आर्य कन्या विद्यालय, प्रतापगढ़ की भूमि की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मांग की जाएगी तथा भूमि–भवन की सुरक्षा–व्यवस्था हेतु भू–माफियाओं के विरूद्ध जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा ऐसी ज्वलंत समस्याओं के लिए जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की समस्त आर्य समाजों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से निवेदन है, कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिचित करें।

–कृष्ण मुरारी यादव, कार्यालय अधीक्षक, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र०, लखनऊ

भजन

–क्षमा, इटावा

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद्भद्रन्तन्न आसुव।। यजु.अ.३०/३।।

हे सृष्टि के रचैया नैया पार लगा दो।
हे विश्व के खिवैया नैया पार लगा दो।
तुमसा न कोई दूसरा जग में परमपिता।
दुर्व्यसन और दुर्गुणों को जड़ से मिटा दो। हे सृष्टि.....
कल्याण हो हमारा शुभ काम करें हम।
माता–पिता को रौशन प्रभु नाम करें हम।
आनन्द के हो दाता रक्षक सभी के तुम।
चहुँओर हो खुशहाली, दुःख दर्द मिटा दो। हे सृष्टि.....
गुण कर्म और स्वभाव हमारे हो सात्विकी।
सन्मार्ग पर चलें प्रभो कृपा हो आपकी।
ऐश्वर्ययुक्त हो प्रभु, तुम्हीं हो शुद्ध रूप।
जीवन हो यज्ञमय ''क्षमा'' का ज्ञान बढ़ा दो। हे सृष्टि.....

सादरं प्रणमाम्यहम्

समुद्धरतां च वेदानां सत्य तत्त्व प्रकाशकम्।
महर्षिं श्री दायनन्दं सादरं प्रणमाम्यहम्।
विरजानन्दस्य शिष्यं च सुतरां श्रेष्ठतरं ऋषिम्।
ऋचानां सत्यव्याख्यातां सादरं प्रणमाम्यहम्।
भारतस्य महाप्रतिभां बुधं पाखण्ड खण्डकम्।
स्वातन्त्र्यसूत्रधारं च सादरं प्रणमाम्हम्।
ब्राह्मणग्रन्थ–संज्ञानं चारण्यक–रसार्णवम्।
औपनिषदीय सोपानं सादरंप्रणमाम्यहम्।
आर्य प्रतिनिधिसभापाश्च प्रेरणापुरूषश्च यत्।
तं महर्षिदयानन्दं सादरं प्रणमाम्यहम्।

शब्दविधानम् आचार्य सोमदीक्षितः
प्रधानः/प्रशासकः आर्यसमाजसीतापुरस्य

स्वामी- आर्य प्रतिनिधि सभा, सम्पादक- सत्यवीर शास्त्री, मुद्रक-प्रकाशक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह आर्य, उत्तर प्रदेश भगवानदीन आर्य भाष्कर प्रेस, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी रूप से शारदा प्रिंटिग प्रेस, माडल हाउस लखनऊ से मुद्रित एवं प्रकाशित
लेखों में वर्णित भाषा या भाव से सम्पादक/मुद्रक का सहमत होना आवश्यक नहीं है- सम्पूर्ण विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।